

कार्यालय मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, मथुरा

पत्र सं० :- सी०एफ०ओ०/अ०सु०/मथुरा/2019/22

दिनांक :- 08-04-2019

✓ सेवा में,

जिला पूर्ति अधिकारी
मथुरा।

विषय :- कोसी कलां-नन्दगांव एमडीआर रोड पर जनपद-मथुरा तहसील-छाता के खसरा नम्बर -617 एमआई, ग्राम-बरहना में आई०ओ०सी०एल० के एमएस/एचएसडी रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना के लिये अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किये जाने हेतु निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक 372/जि०पू०अ०-पैट्रोलि०-अना०-प्र०-पत्र/2019 दिनांक:- 01.04.2019।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में प्रस्तावित एमएस/एचएसडी रिटेल आउट लेट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था की आख्या की अपेक्षा की गयी है। जिस सम्बन्ध में अग्निशमन दृष्टिकोण से स्थलीय निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी अग्निशमन केन्द्र, भूतेश्वर मथुरा द्वारा किया गया तो जिनकी निरीक्षण आख्या दिनांक-06-04-2019 द्वारा निम्न तथ्य प्रकाश में आये।

1. प्रस्तावित स्थल कोसी कलां-नन्दगांव एमडीआर 20 मीटर चौड़े रोड पर जनपद-मथुरा तहसील-छाता के खसरा नम्बर- 617 एमआई, ग्राम-बरहना पर प्रस्तावित है। प्रस्तावित स्थल पर अग्निशमन वाहन सुगमतापूर्वक आवागमन कर सकते हैं।
2. प्रस्तावित भूखण्ड पर रिटेल आउटलेट हेतु नियमानुसार बफर-स्ट्रिप का प्रावधान है। तथा आवागमन हेतु 02 गेटों का प्रावधान है।
3. प्रस्तावित भूखण्ड का मानचित्र के अनुसार साइज 40.15 मीटर लम्बा व 38.14 मीटर चौड़ा है।
4. प्रस्तावित स्थल के ऊपर वर्तमान में कोई भी हाईटेंशन लाइन नहीं गुजर रही है।
5. प्रस्तावित स्थल के पास किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ का भण्डारण नहीं पाया गया।
6. प्रस्तावित स्थल पर 03 भूमिगत टैंक जिनमें 20 कि०ली० क्षमता के 02 डीजल टैंक व 20 कि०ली० क्षमता का एक पेट्रोल टैंक प्रस्तावित है।

प्रस्तावित व्यवस्था एवं अग्निशमन प्रणाली

1. कैनोपी का निर्माण अस्थाई संरचना के रूप में अनुमन्य होगा, जिसकी भूमितल से न्यूनतम ऊँचाई 08 मीटर होगी।
2. न्यूनतम पार्किंग क्षेत्र 80 वर्गमीटर से कम न हो।
3. प्रत्येक टैंक का वेन्ट पाइप पेट्रोलियम नियमावली 2002 के मानकों के अनुरूप होना चाहियें।
4. प्रत्येक टैंक के लिये अलग-अलग वेन्ट पाइप का प्राविधान किया जाय, जो आपस में जुड़ा नहीं होना चाहिए। वेन्ट पाइप की ऊँचाई 04 मीटर से कम नहीं होनी चाहिये एवं उसके चारों तरफ 04 मीटर में कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिये।
5. सम्पूर्ण विद्युत व्यवस्था आई०एस० 2148 के मानकों के अनुरूप ही किया जाय तथा विद्युत वायरिंग में एम०सी०बी०/ई०एल०सी०बी० का प्रयोग किया जाय।
6. लाइसेन्स एरिया में विद्युत जंक्शन बाक्स के साथ सभी लाईट फ्लेम प्रूफ होनी चाहिये।
7. प्रत्येक डिस्पेन्सर में इमरजेन्सी स्टाप सिस्टम/स्वीच होना चाहिये।
8. इलैक्ट्रिक पैनल रूम में फ्लोर पर रबर मैट बिछी होनी चाहिये एवं रूम में पर्याप्त वेन्टीलेशन होना चाहिये।
9. तेल टैंक से टैंक में तेल भरते समय नियमानुसार अर्थिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाना आवश्यक होगा।
10. रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) पर निम्न अग्निशमन व्यवस्थाएँ हमेशा क्रियाशील अवस्था में रखी जाय।

- अ. प्रत्येक डिस्पेन्सर के पास 02 अदद डी0सी0पी0/ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर (आई0एस0मार्की) क्षमता - 10 कि0ग्रा0 एवं 02 अदद ए0एफ0एफ0 एफ0 (फोम टाईप) फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता - 09 ली0 हमेशा क्रियाशील अवस्था में रखें।
- ब. अण्डर ग्राउण्ड टैंक के पास 01 अदद डी0सी0पी0 ट्राली क्षमता 75 कि0ग्रा0 एवं 01 अदद ए0एफ0एफ0एफ0 (फोम टाईप) फायर एक्सटिंग्यूशर (ट्राली) क्षमता - 50 ली0 हमेशा क्रियाशील दशा में रखें।
- स. स्टोरेज टैंक के पास 12 अदद बकेट बालू से भरी स्टैण्ड पर रखी जाय।
- द. विद्युत पैनल रूम में 01 अदद 10 कि0ग्रा0 डी0सी0पी0/ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर एवं 01 अदद 4.50 कि0ग्रा0 क्षमता का सीओडू फायर एक्सटिंग्यूशर रखें।
- य. विद्युत जेनरेटर के पास 01 अदद डी0सी0पी0/ए0बी0सी0 क्षमता - 10 कि0ग्रा0 तथा 01 अदद फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता - 4.50 कि0ग्रा0 रखें एवं विद्युत जेनरेटर अण्डर ग्राउण्ड टैंक से नियमानुसार सुरक्षित दूरी पर होना चाहिये।
- र. अग्निशमन व्यवस्था हेतु 2000 ली0 पानी की व्यवस्था होनी चाहिये।
- ल. पेट्रोल पम्प के सूचना पट्ट पर आपातकालीन सेवा अग्निशमन विभाग - 101, एम्बुलेंस सेवा - 108, पुलिस विभाग - 100, का टेलीफोन नम्बर बड़े अक्षरों में अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
11. ग्राहकों की जागरूकता के लिये निम्नांकित को बोर्ड पर अंकित कर लटकाया जाना अनिवार्य होगा।
- अ. तेल भरवाने से पहले वाहन का इंजन बंद कर लें।
- ब. मोबाईल फोन का इस्तेमाल न करें।
- स. स्थल पर धूम्रपान न करें।
12. रिटेल आउटलेट का इमरजेंसी ऐक्शन प्लान ओ0आई0एस0डी0 225 के अनुरूप होनी चाहिये एवं उसके अनुरूप ही सभी कर्मचारी प्रशिक्षित किये जाने चाहिये।

अतः उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन तहसील छाता के, ग्राम-बरहना के खसरा नम्बर - 617 एमआई में आई0ओ0सी0एल0 के एमएस/एचएसडी रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापना के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित इस आशय से प्रेषित की जाती है कि आवेदक द्वारा प्रस्तावित एमएस/एचएसडी रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) का निर्माण पेट्रोलियम नियमावली 2002 के प्राविधानित मानकों एवं मानचित्रों के अनुसार ही किया जायेगा। निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने व पेट्रोल पम्प आरम्भ करने से पूर्व अग्निशमन सिस्टम/उपकरणों का निरीक्षण परीक्षण अग्निशमन विभाग के सक्षम अधिकारी से कराकर अन्तिम रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। निरीक्षण/परीक्षण कराने की पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं प्रबन्धक की होगी।

Sanjay
संजय कुमार शर्मा
(संजय कुमार शर्मा)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मथुरा। 080419

प्रतिलिपि:-

1. आवेदक को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
2. अग्निशमन अधिकारी अग्निशमन केन्द्र भूतेश्वर मथुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

12/5/19

मो. एहतशाम जुबैरी / Mohd. Ehtasham Zuberi
मुख्य प्रबंधक (रिटेल सेल्स) / Chief Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. (वि. प्र.)
Indian Oil Corporation Ltd. (M. D.)
आगरा मण्डल कार्यालय / Agra Divisional Office
इंडियन ऑयल भवन / Indian Oil House
65/2, संजय प्लेस, आगरा- 282002 (उ.प्र.)
65/2, Sanjay Place, Agra - 282002 (U.P.)